अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

सदिग्ध/अवैध जमाबदी रद्द अभिलेख स0 58 2018-19

बिहार (झारखड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h के तहत जाँच एंव कार्रवाई से संबधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
13/3/19	झारखड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0 दिनाक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0 म0 निति–119/85/2308/रा0 दिनाक 03.09.1985 एव सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सख्या–914/रा0 दिनाक 09.12.1998 मे निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबदियो की जाँच प्रारंभ की गयी। जांच के कम मे हल्का राजस्व उपनिरिक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है– मौजा–[illegible] मौजा न0– 09 खाता न0 28 प्लॉट न0 187 रकवा 8 [illegible] की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबदी उस मौजा के पजी–।। के जिल्द सख्या 02 के पृष्ठ सख्या 353 पर जमाबदी रैयत [illegible] के नाम से कायम है। हल्का राजस्व उपनिरिक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्व कायम जमाबदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जॉच प्रतिवेदन से प्रतित होता है कि उपर्युक्त जमाबदी किना सक्ष्म प्राधिकार के आदेश के/अवैध बदोबस्ती के आधार प/अवैध कोडकर बदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उदेश्य निजि लाभ एव राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है। अतः– उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन पर अचल–निरिक्षक का मतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनाक 27/3/19 को रखे। 13.3.19 अचल अधिकारी, धनबाद।	

Scanned by CamScanner

१३/१९ अभिलेख उपस्थापित।अचल निरिक्षक से मतव्य /प्रतिवेदन अप्राप्त है।
अभिलेख दिनाक 10/4/19 को रखे।

अचल अधिकारी
धनबाद।

10/4/19 अभिलेख उपास्थिपित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य मे व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नही हो सका।
अभिलेख दिनाक 24/4/19 को रखे।

अचल अधिकारी
धनबाद।

10/6/20 अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक मे विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनाक 20/6/20 को रखे।

अचल अधिकारी
धनबाद।

20/6/20 अभिलेख उपस्थपित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा [illegible] मौजा न0 09 खाता 28 प्लाट न0 182 रकवा 08 [illegible] भूमि से सवधित है। आवेदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमावदी रैयत के खोज बीन के उपरान्त पता नही चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित भूमि दाखिल खारिज केस न0 226 (11) 03-04 के अनुसार कायम है। तत्कालीन अचल अधिकारी , धनबाद द्वारा उक्त पजी को सदेहास्पद माना गया है। जिसे सवधित उप निरीक्षक एव अचल निरीक्षक ने उक्त जमावदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशसा सहित समर्पित किया

अत: जॉच प्रतिवेदन के आलोक मे जमाबदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एव संशोधत।

20.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।

20.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।

Scanned by CamScanner